न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 121/2023 (GCMS : 2023/206)

1. **चुन्नीलाल** पुत्र श्री मिराज राम (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधिगण
   1/1 कमला पत्नी स्व. चुन्नीलाल जाति कुम्हार आयु 76 वर्ष निवासी गांव ख्यालीवाला तहसील गंगानगर
   1/2 चन्द्रकला पुत्री स्व. चुन्नीलाल जाति कुम्हार आयु 45 वर्ष निवासी गांव ख्यालीवाला तहसील गंगानगर
2. **कृष्ण लाल** पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी गांव ख्यालीवाला तहसील गंगानगर
3. **कुलवीर** पुत्र स्व. चुन्नीलाल जाति कुम्हार निवासी गांव ख्यालीवाला तहसील गंगानगर

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, श्रीगंगानगर**
2. **नौरंगराम** पुत्र मिराज राज जाति कुम्हार निवासी गांव ख्यालीवाला तहसील गंगानगर

18.03.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश ग्रोवर एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद 02/2016 अनवानी चुन्नीलाल बनाम सरकार आदि, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थीगण ने निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2016 अनवानी चुन्नीलाल (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधिगण आदि बनाम स्टेट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Lok

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:16:50 IST
Reason: SelfAttested